

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कोलाभर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी शालेडी व भू अ. नि. ..
शालेडी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कोलाभर / नायब तहसीलदार की
अनुशाषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम
तहसील कोलाभर व जिला कोलाभर की जमावन्दी सम्बत् 2013-14
में खाता संख्या 270 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया
जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	शालेडी	270	उम्रादेवी माता मंगलाराम	उम्रादेवी पत्नी जीमाला

क्र.सं. 38/2019
24/11/19

(शालेडी)
उपखण्ड अधिकारी
कोलाभर
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर

दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद
शुद्ध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(शालेडी)
उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर